न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 83/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गोपरराम पुत्र हरजीराम 2– गोपाराम पुत्र हरजीराम 3– श्रीमती गैरी पत्नी हरजीराम 4– मां.ीदेवी पत्नी गेनाराम 5– सुमन पुत्री गेनाराम 6– ममता पुत्री गेनाराम 7– सीता पुत्री गेनाराम 8– रेखा पुत्री गेनाराम 9– रिंकु पुत्री गेनाराम सभी रेस्पो0 5 से 9 नाबालिग जरिये माता श्रीमती मांगीदेवी 10–भंवरलाल पुत्र भभुतराम 11–सुवाराम पुत्र किशनाराम 12–लाबुराम पुत्र किशनाराम समस्त जातियान जाट निवासीगण ग्राम दातीवाडा तहसील व जिला जोधपुर		1– कानसिह पुत्र गुलाबसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतीवाडा, तहसील व जिला जोधपुर 2– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2020 जिसे उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 66/2019 अनवान कानसिह बनाम लाबूराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ए.आर.बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नंबर 298/1, 299, 301/4, 303/2, 306/2 ग्राम दांतीवाडा तहसील जोधपुर मे स्थित है । प्रार्थी की उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 303 व 299 की भूमि मे से जोधपुर–जयपुर हाईवे का निर्माण होने से कुछ भूमि अवाप्त की गई । इस कारण खसरा नंबर 303 व 299 का कुछ भाग सडक के दूसरी और चला गया । खसरा नंबर 303 व 299 के दक्षिण पूर्व भाग के चिपते गांव दांतीवाडा की खसरा संख्या 300 की भूमि आई हुई है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार

उस टीम द्वारा दिनांक 25–11–2017 को प्रार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 303 व 299 व अन्य भूमियो की पैमाईश की जाकर प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया । वक्त पैमाईश अप्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) को भी पडोसी होने के नाते बुलाया गया, परंतु वह होटल कार्य मे व्यस्थ होने के कारण उसने अपने पुत्र जगदीश को पैमाईश स्थल पर भेजा तब प्रार्थी एवं अप्रार्थी के भाई गेपरराम व भेराराम की मौजुदगी मे पैमाईश टीम द्वारा विधिवत पैमाईश की जाकर सीमाज्ञान करवा दिया गया एवं सभी उपस्थित व्यक्ति उक्त सीमा ज्ञान से संतुष्ट थे । उक्त पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25–11–2017 के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने माफिक पैमाईश प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा नंबरान की सीमाओ पर दोनो मिलकर पीलर कायम कर देवे ताकि भविष्य मे किसी विवाद की कोई गुजांईश नही रहे । जिस पर पहले तो अप्रार्थी ने सहमति दे दी परंतु बाद मे किसी न किसी बहाने पत्थरगढी करवाने मे आनाकानी करने पर माफिक पैमाईश रिपोर्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खसरा नंबरान की भूमि के बीच पत्थरगढी की जाकर पक्के मुटाम लगाने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय से किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–2–2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए माफिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25–11–2017 के मौजा दांतीवाडा के खसरा नंबर 303, 299 एवं 300 के बीच की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटगणो को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण के नोटिसेज की तामिली रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि सभी 27 नोटिसेज पर नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट तथा सभी पर गवाह के रूप मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 कानसिह पुत्र गुलाब सिह के हस्ताक्षर किये हुए है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि नोटिस को लेने से इंकार भी किया जाता है तो उसके आबाद मकान पर चस्पादगी की रिपोर्ट तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर होने आवश्यक है परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई प्रकिया नही अपनाई जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिसेज को तामिल मानकर बावजुद तामिल के अनुपस्थित बताते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण उपस्थित नही आ रहे थे तो अधीनस्थ न्यायालय को हल्का पटवारी से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी परंतु ऐसी कोई कार्यवाही किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 के मध्य भूमि की माठ

जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा आदेश है जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रथम बार तब हुई जब मौके पर राजस्व कर्मचारियो की टीम के साथ रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांटगण की भूमि की पैमाईश करने लगे तब उसे बताया गया कि न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश पारित हुआ है तो अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन आदेश आदि पत्रादि की नकले प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी होते ही प्रस्तुत कर दी थी जिस पर न्यायालय हाजा ने अपीलांट के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित कर रखा है इसलिए उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मैने अधीनस्थ न्यायालय मे मेरे खातेदारी के खेत की पत्थरगढी बाबत विधिवत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जिसमे पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25–11–2017 जो पक्षकारो की सहमति से तैयार की गई थी, के आधार पर पक्के नेखम स्थापित करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मेरा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये गये जिन नोटिसेज पर प्राप्तकर्ता ने नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नत्थी है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण को जवाब हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजुद उनकी ओर से कोई जवाब नही आने पर जवाब बंद करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–2–2020 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार करते हुए माफिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25–11–2017 के मौजा दांतीवाडा के खसरा नंबर 303, 299 एवं 300 के बीच की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समंक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विधिवत दर्ज कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर रेकर्ड पर उपलब्ध पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25–11–2017 के माफिक जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।